

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर जिला-सूरजपुर छ0ग0

E-Mail ID : cmh0surajpur@gmail.com

Phone : 07775-266145

क्र0/5027/डीएमएफ शाखा/विज्ञप्ति/2026

सूरजपुर, दिनांक - 09/07/2026


// सूचना //

जिला खनिज संस्थान न्यास(डी.एम.एफ) अंतर्गत संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशन बाबत।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूरजपुर छ0ग0 के पत्र क्र0/5001/डीएमएफ/विज्ञप्ति/2026 सूरजपुर, दिनांक 08.07.2026 के द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत डार्डिथियन-01, नेत्र सहायक-06, स्टॉफ नर्स-30, ड्रेसर ग्रेड-01-12, फार्मासिस्ट ग्रेड-02-1, आरएचओ (महिला)-01, ओ.टी. अटेंडेंट-01, वार्ड ब्वाय-03 एवं आया-02 के कुल 57 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

उक्त रिक्त संविदा पदों पर पात्र इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 09.07.2026 से 23.07.2026 को सायं 5:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।


उक्त विज्ञापन का विवरण कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूरजपुर के सूचना पटल एवं सूरजपुर जिले के शासकीय वेबसाईट www.surajpur.gov.in में उपलब्ध है। जिसका अवलोकन किया जा सकता है।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ0ग0)

पु0 क्र0/5028/डीएमएफ शाखा/विज्ञप्ति/2026
प्रतिलिपि:-

सूरजपुर, दिनांक - 09/07/2026

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0, स्वास्थ्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सूरजपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला सूरजपुर छ0ग0, कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को जनहित में राज्य स्तरीय दो बहुप्रसारित समाचार पत्रों एवं जिला स्तरीय 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.), जिला सूरजपुर। कृपया पत्र के साथ संलग्न सी.डी. में निहित डाटा को जिले के शासकीय वेबसाईट www.surajpur.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।
7. कार्यालयीन प्रति।
8. कार्यालयीन प्रति।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ0ग0)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर
जिला-सूरजपुर छ0ग0

E-Mail ID : cmhosurajpur@gmail.com

Phone : 07775-266145

क्र0/5001/डी.एम.एफ./विज्ञप्ति/2026

सूरजपुर, दिनांक - 08/07/2026

// जिला खनिज न्यास मद से नियुक्ति हेतु विज्ञापन //

कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास सूरजपुर, जिला सूरजपुर छ0ग0 के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश उपरांत जिले के स्वास्थ्य संस्थाओं में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुये चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देते हुये अस्थाई रूप से **Walk in Interview** के माध्यम से संविदा भर्ती किया जाना है। निम्नलिखित पद पर आवश्यक आर्हता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

• पदों की जानकारी:-

क्र	पदनाम	रिक्त पद	आरक्षण रोस्टर															योग	
			अनु0जनजाति				अनु0जाति				अन्य.पि.वर्ग				अनारक्षित				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूरे	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूरे	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूरे	मुक्त	महिला	दिव्यांग		
1	डाईटिशियन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	नेत्र सहायक	6	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	6
3	स्टॉफ नर्स	30	12	0	1	0	2	0	0	4	0	0	0	10	0	1	0	0	30
4	ड्रेसर ग्रेड-01	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	12
5	फार्मासिस्ट ग्रेड-02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6	आरएचओ (महिला)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
7	ओटी अटेंडेंट	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	वार्ड ब्वाय	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
9	आया	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
योग:-		57	20	0	1	0	2	0	0	5	0	0	0	22	1	6	0	0	57

• वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की जानकारी

क्र	पदनाम	रिक्त पद	एकमुश्त प्रतिमाह वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	डाईटिशियन	1	32675(एक मुश्त)	M.Sc. (Home Science - Food and Nutrition)/M.Sc. (Clinical Nutrition and Dietetics)/M.Sc. (Food Science & Nutrition)/M.Sc. (Food and Nutrition Dietetics)/M.Sc. (Food Service Management and Dietetics) from arecognized University /Institution.
2	नेत्र सहायक	6	26490(एक मुश्त)	12वीं (विज्ञान), नेत्र सहायक अधिकारी डिप्लोमा/डिग्री, पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
3	स्टॉफ नर्स	30	16500(एक मुश्त)	बी.एस.सी.(नर्सिंग) या पी.बी.बी.एस.सी. नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान (सिनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण, नर्सिंग कौंसिल से परिचायिका (Nurse) के रूप में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य।
4	ड्रेसर ग्रेड-01	12	14860(एक मुश्त)	विज्ञान विषय में 10+2 पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण, आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य।
5	फार्मासिस्ट ग्रेड-02	1	15000(एक मुश्त)	फार्मसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण(फार्मसी) में डिप्लोमा या डिग्री तथा छत्तीसगढ़ फार्मसी कौंसिल से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य।
6	आरएचओ (महिला)	1	12000(एक मुश्त)	उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य। छ.ग. नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य।
7	ओटी अटेंडेंट	1	8800(एक मुश्त)	08वीं पास होना अनिवार्य।
8	वार्ड ब्वाय	3	8800(एक मुश्त)	08वीं पास होना अनिवार्य।
9	आया	2	8800(एक मुश्त)	08वीं पास होना अनिवार्य।
कुल पदों की संख्या		57		

• आवेदन जमा एवं पदों पर भर्ती हेतु पदवार निर्धारित तिथि:-

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि	09.07.2026
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	23.07.2026
पात्र/अपात्र सूची के प्रकाशन की संभावित तिथि	03.08.2026
दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि	10.08.2026
दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् साक्षात्कार हेतु प्रथम मेरिट सूची प्रकाशन (संभावित तिथि)	12.08.2026

• निम्नलिखित पदवार वाक्-इन-इंटरव्यू हेतु संभावित तिथि

पदनाम	वाक्-इन-इंटरव्यू संभावित तिथि
डाईटिशियन	18.08.2026
फार्मासिस्ट ग्रेड-02	
आर.एच.ओ. (महिला)	
ओ.टी. अटेंडेंट	
वार्ड ब्याय	
वार्ड आया	19.08.2026
नेत्र सहायक	
ड्रेसर ग्रेड-01	20.08.2026
स्टॉफ नर्स	


नियम एवं शर्त:-

आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश:-

- विज्ञापन का आवेदन प्रारूप एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश www.surajpur.nic.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूरजपुर छ0ग0 के सूचना पटल पर से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 09.07.2026 से 23.07.2026 को सायं 05.00 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूरजपुर छ0ग0 के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं समयानुसार आवेदन प्राप्त नहीं होने पर या विलंब के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक को आवेदन करते समय आवेदन के ऊपर आवेदित पद का नाम, पता, संवर्ग (अनारक्षित, अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.वर्ग) स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिवर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
- उपरोक्त विज्ञापित में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया में संशोधन/निरस्तीकरण किया जा सकेगा।
- आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना स्वयं का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो(वर्तमान समय का) चस्पा कर उसे स्व. हस्ताक्षरित सत्यापित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ आवेदक को आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थानों पर अपना हस्ताक्षर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- वाक्-इन-इंटरव्यू के समय मूल दस्तावेजों एवं स्व. प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- यह पद पूर्णतः अस्थायी होगा, जो कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत की जा रही है।
- उपरोक्त अस्थायी भर्ती पदस्थापना नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष हेतु या डी.एम.एफ. से राशि उपलब्ध होने तक के लिए डी.एम.एफ. मद के अधीन होगी, विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं जिला खनिज संस्थान न्यास मद से बजट राशि आवंटित किये जाने पर ही सेवा वृद्धि पर विचार किया



- जावेगा। साथ ही उक्त नियुक्ति संविदा/सीधी भर्ती द्वारा पद की पूर्ति तक अथवा स्थानांतरण द्वारा पद की पूर्ति होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए होगी। इसमें किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया जावेगा। यह नियोजन स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
10. उक्त भर्ती जिला खनिज संस्थान न्यास निधि अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन की कमी को दृष्टिगत रखते हुये चिकित्सा व्यवस्था हेतु सूरजपुर जिला के स्थानीय योग्यताधारी को पहली प्राथमिकता दिया जाना है।
 11. सूरजपुर जिले के आवेदकों को प्राथमिकता दिये जाने के उद्देश्य से उनकी पृथक से पात्र-अपात्र सूची के साथ मेरिट सूची जारी किया जावेगा। जिले के पात्र स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के अन्य जिले के उम्मीदवारों को अवसर दिया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को समक्ष अधिकारी द्वारा संबंधित जिले का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अपात्र किया जावेगा।
 12. अभ्यर्थी को आवेदन के समय वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य कर निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधितों को पृथक से नहीं दी जावेगी। केवल लिपिकीय ऋटि ही मान्य किया जावेगा। दावा-आपत्ति में किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने का अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।
 13. उक्त पद हेतु मानदेय जिला खनिज न्यास निधि मद अंतर्गत प्रावधानिक वेतन एकमुश्त देय होगा। निर्धारित एकमुश्त मासिक मानदेय/वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ता देय नहीं होगा।
 14. दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा, न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष होना चाहिए।
 15. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, का पत्र क्रमांक एफ-3-2/2015/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 18.01.2024 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग.शासन) द्वारा समय-समय पर जारी छुट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
 16. उक्त विज्ञापन में उल्लेखित पद जिला खनिज संस्थान न्यास के अधीन प्रभावित क्षेत्रों/स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु नियुक्ति की पात्रता होगी।
 17. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दावा डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
 18. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकारी चयन समिति होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
 19. आवश्यक दस्तावेज- आवेदन करते समय निम्न अभिलेखों को स्वप्रमाणित अनिवार्यतः संलग्न किया जावे:-
 - 08वीं अंकसूची। (जिन पदों पर लागू हो)
 - 10वीं अंकसूची।
 - 12वीं अंकसूची।
 - निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्गों की अंकसूची/संबंधित डिग्री/इंटरनैशीट प्रमाण पत्र।
 - छ.ग. मेडिकल/पैरामेडिकल कॉउन्सिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (जिन पदों हेतु लागू) है, संलग्न करना अनिवार्य है।
 - जाति प्रमाण पत्र।
 - अनुभव प्रमाण-पत्र।
 - छ.ग. राज्य का मूल/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
 - उपरोक्त समस्त दस्तावेज परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत किसी भी प्रकार से दस्तावेज के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
 20. अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। निःशुल्क सेवा अथवा शासकीय निधि से भुगतान नहीं किये गये पदों के अनुभव अंक मान्य नहीं किये जायेंगे। अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित पद



- का नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एवं वेतन पत्रक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अनुभव हेतु अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों का एक वर्ष पूर्ण होने पर 03 अंक अधिकतम 15 अंक दिया जावेगा। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा।
21. छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नवा रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07.12.2021 एवं संसोधित आदेश क्रमांक/एफ 1-67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03.02.2023 में उल्लेखित प्रावधानानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा। नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
22. ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है उनको ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था/विद्यालय से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक/चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. चयन की प्रक्रिया:-

- वरियता सूची का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 65%, अनुभव का अधिकतम 15 अंक एवं साक्षात्कार 20 अंक के आधार पर मेरिट सूची वर्गवार तैयार किया जावेगा।
- उपरोक्त पदों हेतु प्रथम मेरिट सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 65% एवं अनुभव 15 अंक के आधार पर जारी किया जावेगा। अंतिम मेरिट सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 65%, अनुभव अधिकतम 15 अंक एवं साक्षात्कार 20 अंक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जावेगा।
- प्राप्त आवेदनों की स्कुटनी उपरांत दावा-आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य दिशा-निर्देश जिला सूरजपुर के शासकीय वेबसाईट surajpur.nic.in अथवा कार्यालय के सूचना पटल में चस्था किया जावेगा। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- वाक्-इन-इंटरव्यू परीक्षा लिये जाने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच/स्कूटनी कर पात्र अभ्यर्थियों की वरियता क्रम सूची बनाई जायेगी एवं निम्नानुसार विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।

क्र	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

24. विज्ञापित पदों पर योग्यतानुसार आवेदन उपलब्ध नहीं होने की दशा में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
25. प्रतीक्षा सूची जारी करने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी। भविष्य में उक्त पदों के अलावा अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।
26. चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही 50 रु. के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य है।
27. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य/कूटरचित पाई जाती है, तो संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
28. चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभाग/चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ0ग0)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)